HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 17044/2026
CNR: RJHC021037622026 | URN: CRLMB / 31427U / 2026

Ronit Yadav S/o Shri Ajeet Singh, Aged About 24 Years, R/o Gudiya Kalan, Police Station Madan, District Behror, Presently Tenant At Plot No. G-1, 653, Shani Ka Makan, Sindhi Colony, Police Station Jawahar Nagar, Jaipur. (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kapil Gupta Mr. R K Gouttam Mr. G S Gouttam Ms. Saakshi Meena
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना जवाहर नगर, जिला–जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 171/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 309(4), 311, 3(5), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह द्वितीय प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 01.10.2026 को निरस्त होने के उपरान्त प्रकरण में अब अन्वेषण पूर्ण किया जाकर आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी

अभियुक्त से लूट का माल सोने का कड़ा और अंगूठी बरामद होना बताया गया है, परन्तु उस माल की नियमानुसार पहचान की कार्यवाही नहीं करवाई गई है। प्रार्थी की भी पहचान परेड कार्यवाही नहीं करवाई गई है। प्रकरण में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज प्राप्त करना बताया गया है, परन्तु उसके विश्लेषण की प्रति प्रार्थी को आरोपपत्र के साथ उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रार्थी 19 वर्ष का नवयुवक है तथा दिनांक 08.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण की सम्पूर्ण घटना में प्रार्थी की सक्रिय भूमिका रही है। प्रार्थी से लूट के सामान सोने का कड़ा व अंगूठी की बरामदगी हुई है। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज जब्त किये गये हैं, उसके अनुसार प्रार्थी का घटना में शामिल होना दर्शित है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2026 को निरस्त किया गया था, उसके उपरान्त प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण किया जाकर आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त से बरामद माल की पहचान कार्यवाही नहीं करवाई गई है और न ही प्रार्थी की पहचान परेड कार्यवाही ही करवाई गई है। प्रार्थी 19 वर्ष का नवयुवक है, जो दिनांक 08.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा,** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में

नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

79/VISHAL SHARMA